म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/नियमन/ई मंडी/2017–18/521/4013 भोपाल, दिनांक 1/02/2018

प्रति,

1. संयुक्त/उपसंचालक
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति............................
   जिला ...., म0प्र0 (समस्त)।

विषयः–दिनांक 01.04.2018 से ऑन लाईन अनुज्ञा जारी करने हेतु संसाधन अद्यतन किये जाने बाबत्।

संदर्भः–परिपत्र क्रमांक/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/3078 भोपाल, दिनांक 27.01.2018.

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में ऑन लाईन अनुज्ञा पत्र जारी करने, प्रवेश अनुबंध, तौल, भुगतान पत्रक की जानकारियों को अद्यतन ऑन लाईन प्रविष्टि करने तथा पाक्षिक विवरणी व वार्षिक विवरणी डिजीटल प्राप्त कर, कम्प्यूटरीकृत लेखा सत्यापन प्रणाली विकसित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है –

1) समय– समय पर विभिन्न समेकित अथवा एकल निर्देशों से मंडियों व आंचलिक कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर व संबंधित उपकरण हेतु अनुमतियाँ जारी की गई।

2) मंडी बोर्ड के परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/742/पार्ट/171 भोपाल, दिनांक 28.05.2012 तथा परिपत्र क0/बोर्ड/स्वी/विविध/757/303 भोपाल, दिनांक 09.06.2015 से मंडियों में डिजीटल प्रणाली हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण भंडार क्रय नियम का पालन कर, क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई।

3) मंडी बोर्ड द्वारा परिपत्र क्रमांक/ई–नेम/2016–17/7729 भोपाल, दिनांक 09.03.2017 से ई–नेम अंतर्गत 58 मंडियों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, लेपटॉप, टेबलेट, जनरेटर, इनवर्टर, इंटरनेट कनेक्शन तथा सीसी टीवी केमरा हेतु राशि रू. 16.00 लाख आवंटित की गई। कर्मचारियों/अधिकारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 1.00 लाख की स्वीकृति दी गई। उक्त कार्य म0प्र0 भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किये जाने के निर्देश दिये गये।

4) इसी प्रकार भावांतर भुगतान योजना हेतु ए, बी, सी, व डी वर्ग की मंडियों हेतु हार्डवेयर के स्पेसीफिकेशन व आवश्यक संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्धारित कर भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाकर उपलब्ध करने की कार्यवाही की गई।

5) बिन्दु कमांक 1, 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिये एगमार्कनेट प्रणाली, ई–अनुज्ञा प्रणाली, वित्तीय प्रबंध की Tally प्रणाली, ई–नेम प्रणाली तथा भावांतर भुगतान योजना प्रणाली हेतु पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक उपकरण उपलब्ध कराये गये। तथा कय किये जाने हेतु भी कृषि उपज मंडियों और आंचलिक कार्यालयों को समय–समय अनुमति दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप मंडियों में समुचित मात्रा में कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण व उन्हें परिचालन करने हेतु प्रशिक्षित दक्ष जनशक्ति उपलब्ध है।

6) उपरोक्त स्थितियों के पश्चात् भी ई–मंडी प्रणाली व ई–अनुज्ञा प्रणाली ऑन लाईन किये जाने के लिये यदि कोई अतिरिक्त कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की आवश्यकता है तो संबंधित मंडी सचिव औचित्य प्रतिपादित करते हुए संलग्न परिशिष्ट–1 में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, कॉनफिग्रेशन के कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण म0प्र0 भण्डार कय नियम की प्रकिया अपनाते हुए मंडी निधि से कय कर सकेंगे।

7) साथ ही म0प्र0 भण्डार कय प्रकिया/नियमों का पालन करते हुए पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर, डिजीटल इलेक्ट्रानिक उपकरणों व वर्तमान उपार्जित कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरणों की वार्षिक मेंटनेंस व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8) स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडियों व आंचलिक कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर परिचालन हेतु दक्ष कर्मी उपलब्ध है तथा मंडियों में नियुक्त समस्त स्टाफ को कम्प्यूटर परिचालन हेतु प्रशिक्षित भी लगातार किया जाता रहा है, जिसके लिये समय–समय पर पर्याप्त राशि का आवंटन करते हुए अनुमति भी प्रदान की गई है। फिर भी यदि ई–मंडी, ई–अनुज्ञा, ई–नेम, टेली, भावांतर आदि ऑन लाईन कम्प्यूटरीकरण योजना के लिये जनशक्ति की आवश्यकता होती है तो औचित्य दर्शाते हुए, की गई समीक्षा लिपीबद्ध करते हुए संबंधित मंडी सचिव/आंचलिक अधिकारी, जनशक्ति उपलब्ध करने हेतु नियुक्त ऐजेंसी से समुचित संख्या में कर्मी प्राप्त कर सकेंगे।

9) उपरोक्तानुसार विभिन्न संयंत्रों में कय किये गये कम्प्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा प्राप्त किये कर्मीयों का औचित्य स्पष्ट करते हुवे प्रतिवेदन मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें तथा निरन्तर उपयोगिता की समीक्षा करते हुवे प्रतिवेदन देवे।

1/2/18

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / नियमन / ई मंडी / 2017–18 / 521 / 4014 भोपाल, दिनांक 1 / 02 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 किसासन कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)
3. संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (NIC) म0प्र0, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपसंचालक (नियमन) / चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।
5. गार्ड फाइल / नियमन / विधि / एमआईएस / ईनाम / भा.भु.यो. / स्वीकृति / वित्त / प्रांगण / स्टोर शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana (MP)

Hardware List

"A" Class Mandi

S.No.	Item	Specification	Qty.
1	Laptop	Intel Pentium Quad Core N3710 Processor, 4GB,64 bit Windows 10 Operating System39.62 cm 15.6 diagonal HD SVA Bright ViewWLED-backlit 1366x768, 500 GB 5400 rpm SATA.	2
2	Desktop Computer	Core I3, 4 GB RAM, 1TB HDD, DVD Writer, USB Keyboard and Mouse, 18.5 Monitor. Integrated Intel 10/100/1000 NIC Ethernet Card. Branded PC With Preloded (Windows 7, 8, 10 OS.)	4 / 3
3	Laser Printer	Print Resolution : Up to 600X600 dpi, Print Speed (A4)- Mono - 14 PPM	2
4	Power Backup-Invertar	1.5 KVA with Tubular Batteries	1
5	Internet Connectivity	(Broaband/BSNL/RailTel/ Other), Minimum 2 Mbps & Above	-
6	Net Working Lan Connectivity	8 Port Switich, Cat 5 or Cat 6 Cable	-
7	UPS/Power Backup	Minimum 30 mini. Backup	4

श्री सुबोध श्रीवास्तव
उपसंचालक,मंडी बोर्ड

श्री संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर ,मंडी बोर्ड

श्री अम्बर पाण्डेय
कन्सलटेंट, मेप आईटी

श्री सिद्दार्थ कुर्रे
कसलटेंट, मेप आईटी

श्री वर्गीस अब्राहम
एन आई सी

श्री जितेन्द्र पाराशर
एन आई सी

(13)

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana (MP)

Hardware List

"B" Class Mandi

S.No.	Item	Specification	Qty.
1	Laptop	Intel Pentium Quad Core N3710 Processor, 4GB,64 bit Windows 10 Operating System39.62 cm 15.6 diagonal HD SVA Bright ViewWLED-backlit 1366x768, 500 GB 5400 rpm SATA.	2
2	Desktop Computer	Core I3, 4 GB RAM, 1TB HDD, DVD Writer, USB Keyboard and Mouse, 18.5 Monitor. Integrated Intel 10/100/1000 NIC Ethernet Card. Branded PC With Preloded (Windows 7, 8, 10 OS.)	2
3	Laser Printer	Print Resolution : Up to 600X600 dpi, Print Speed (A4)- Mono - 14 PPM	2
4	Power Backup-Invertar	1.5 KVA with Tubular Batteries	1
5	Internet Connectivity	(Broaband/BSNL/RailTel/ Other), Minimum 2 Mbps & Above	-
6	Net Working Lan	8 Port Switich, Cat 5 or Cat 6 Cable	-
7	UPS/Power Backup	Minimum 30 mini. Power Backup	2

श्री सुबोध श्रीवास्तव
उपसंचालक,मंडी बोर्ड

श्री संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर ,मंडी बोर्ड

श्री अम्बर पाण्डेय
कन्सलटेंट, मेप आईटी

श्री सिध्दार्थ कुर्रे
कसलटेंट, मेप आईटी

श्री वर्गीस अब्राहम
एन आई सी

श्री जितेन्द्र पाराशर
एन आई सी

(14)

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana (MP)

Hardware List

"C" Class Mandi

S.No.	Item	Specification	Qty.
1	Laptop	Intel Pentium Quad Core N3710 Processor, 4GB,64 bit Windows 10 Operating System39.62 cm 15.6 diagonal HD SVA Bright ViewWLED-backlit 1366x768, 500 GB 5400 rpm SATA.	1
2	Desktop Computer	Core I3, 4 GB RAM, 1TB HDD, DVD Writer, USB Keyboard and Mouse, 18.5 Monitor. Integrated Intel 10/100/1000 NIC Ethernet Card. Branded PC With Preloded (Windows 7, 8, 10 OS.)	2
3	Laser Printer	Print Resolution : Up to 600X600 dpi, Print Speed (A4)- Mono - 14 PPM	1
4	Power Backup-Invertar	1 KVA with Tubular Batteries	1
5	Internet Connectivity	(Broaband/BSNL/RailTel/ Other), Minimum 2 Mbps & Above	-
6	Net Working Lan	8 Port Switich, Cat 5 or Cat 6 Cable	-
7	UPS/Power Backup	30 Minites Minimum Power Backup	2

श्री सुबोध श्रीवास्तव
उपसंचालक,मंडी बोर्ड

श्री संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर ,मंडी बोर्ड

श्री अम्बर पाण्डेय
कन्सलटेंट, मेप आईटी

श्री सिध्दार्थ कुर्रे
कसलटेंट, मेप आईटी

श्री वर्गीस अब्राहम
एन आई सी

श्री जितेन्द्र पाराशर
एन आई सी

15

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana (MP)

Hardware List

"D" Class Mandi

S.No.	Item	Specification	Qty.
1	Laptop	Intel Pentium Quad Core N3710 Processor, 4GB,64 bit Windows 10 Operating System39.62 cm 15.6 diagonal HD SVA Bright ViewWLED-backlit 1366x768, 500 GB 5400 rpm SATA.	1
2	Desktop Computer	Core I3, 4 GB RAM, 1TB HDD, DVD Writer, USB Keyboard and Mouse, 18.5 Monitor. Integrated Intel 10/100/1000 NIC Ethernet Card. Branded PC With Preloded (Windows 7, 8, 10 OS.)	1
3	Laser Printer	Print Resolution : Up to 600X600 dpi, Print Speed (A4)- Mono - 14 PPM	1
4	Power Backup-Invertar	1 KVA with Tubular Batteries	1
5	Internet Connectivity	(Broaband/BSNL/RailTel/ Other), Minimum 2 Mbps & Above	-
6	Net Working Lan Connctivity	8 Port Switich, Cat 5 or Cat 6 Cable	-
7	UPS/Power Backup	30 Minites Minimum Power Backup	1

श्री सुबोध श्रीवास्तव
उपसंचालक,मंडी बोर्ड

श्री संदीप कुमार चौबे
चीफ प्रोग्रामर ,मंडी बोर्ड

श्री अम्बर पाण्डेय
कन्सलटेंट, मेप आईटी

श्री सिध्दार्थ कुर्रे
कसलटेंट, मेप आईटी

श्री वर्गीस अब्राहम
एन आई सी

श्री जितेन्द्र पाराशर
एन आई सी

मंध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/NAM/निरीक्षण/2016-17/ 7729   भोपाल, दिनांक 9 /03/2017

परिपत्र

भारत सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदेश की मण्डियों में कृषि बाजार योजना लागू करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया है। जिसे मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डियों को आवंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान की राशि का उपयोग ई.एफ.सी. एवं सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित योजना के घटकों पर एवं लोकहित में किया जाना है। उपरोक्त राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत उपकरणों की सूची एवं आवश्यक मानक अनुसार किया जाना है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उक्त अनुदान के व्यय हेतु विभिन्न घटकों पर निम्नानुसार अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है:-

क्र.	घटक	निर्धारित अधिकतम सीमा
01.	कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस., लेपटॉप, टवलेट	10.00 लाख
02.	सी.सी.टी.व्ही.कैमरा, जनरेटर, इन्वर्टर आदि	05.00 लाख
03.	इन्टरनेट कनेक्शन आदि	01.00 लाख

उपरोक्तानुसार घटकों पर व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम, 2015 के नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अलावा उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए मण्डी के अपने वित्तीय स्त्रोत से भी राशि व्यय किया जाना है, जो निम्नानुसार घटकों पर निर्धारित सीमा तक व्यय की जा सकेगी :-

क्र.	घटक	निर्धारित अधिकतम सीमा
01.	संगोष्ठी, सम्मेलन, फ्लेक्स, बैनर	02.00 लाख
02.	टी.व्ही., रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार (म.प्र.जनसम्पर्क विभाग की संस्था "माध्यम" के द्वारा), होर्डिंग	01.00 लाख
03.	मण्डी समितियों में ऑनलाईन ऑक्सन हाल की साज-सज्जा/बैठक व्यवस्था	07.00 लाख
04.	कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु	01.00 लाख

उपरोक्त घटकों पर व्यय आवश्यकता आंकलन कर म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत किया जाए। उपरोक्त दर्शाई गई सीमा अधिकतम है, यदि मण्डी स्तर पर सुविधाएं पूर्व से भी उपलब्ध हैं तो इन मदों पर व्यय वांछिनीय नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना में दर्शाए नियम एवं शर्तो के अनुसार अनुदान राशि का व्यय न होने पर राशि ब्याज सहित वापिस करनी होगी। उक्त मदों पर सीमा से अधिक आवश्यकता होने पर औचित्य के साथ विस्तृत प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को भेजें जाएं।

योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियमों के अंतर्गत अनुशासन एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन कर उपरोक्त घटकों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(राकेश श्रीवास्तव)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/NAM/निरीक्षण/2016-17/ 773 भोपाल, दिनांक 7 /03/2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
04. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,..........................
05. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (ई-नाम)....................................... जिला......................... की ओर पालनार्थ।

08.03.17

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ 303 भोपाल, दिनांक 09 /06/2015

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः- प्रदेश की मण्डी समितियों को आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर क्रय कर लगाने के संबंध में।

-0-

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 25.5.2015 से टेली सॉफ्टवेयर एवं ई-अनुज्ञा लागू किये जाने एवं कार्य को त्वरित गति से करने के लिये प्रदेश की विभिन्न मंडियों द्वारा कम्प्यूटर की मांग की जा रही है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन किये जाने हेतु प्रदेश की मण्डी समितियों को स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये अपनी आवश्यकतानुसार म0प्र0 लघु उद्योग निगम के माध्यम से कम्प्यूटर क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ 304 भोपाल, दिनांक 09 /06/2015

प्रतिलिपिः-

(1) संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,................ । कृपया उपरोक्त निर्देशों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / स्वी / विविध / 742 / पार्ट / 171 भोपाल, दिनांक 28 / 05 / 2012

प्रति,

उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,................. (म.प्र.)

विषयः– फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति देने बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बोर्ड / क्रय / 2012 / 21 / 12 दि0 24.4.2012

–0–

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, मण्डी समितियों एवं बुन्देलखण्ड परियोजना के कार्यालय हेतु फर्नीचर, वाटर कुलर एवं उपकरणों का भण्डार क्रय नियमों एवं चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान अन्तर्गत क्रय करने हेतु संदर्भित पत्र से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। उपरोक्त क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति हेतु समस्त अधिकार प्रबंध संचालक महोदय को निहित है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये वित्त विभाग से सामग्री की संख्या नियत की जाकर क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई है।

अतएव पत्र के साथ संलग्न सामग्री की संख्या के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित सामग्री क्रय बावत् एकजाई रूप से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। बुन्देलखण्ड परियोजना हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पूरे परियोजना के लिये होगी, जिसको आवश्यकता के आधार पर परियोजना के संभागीय कार्यालय में वितरित किया जावेगा, उपरोक्त परियोजना हेतु सामग्री संभागीय उपसंचालक सागर / ग्वालियर द्वारा क्रय की जावेगी।

मण्डी समितियों को वर्गीकरण के आधार पर सामग्री की संख्या नियत की गई है। उपरोक्त संख्या के आधार पर मण्डी समितियॉ स्वंय भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त सामग्री क्रय कर सकेगी इस हेतु पृथक से वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।

सभी स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री प्राथमिकता के आधार पर म0प्र0 लघु उद्योग निगम से क्रय की जावेगी इस हेतु शर्तो के आधार पर विवरण सहित आदेश पत्रक का प्रारूप संलग्न है। जिस अनुसार ही आपके द्वारा क्रय आदेश दिये जावेगे। लघु उद्योग निगम के पास सामग्री उपलब्ध नही होने पर उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगे एवं उसके उपरांत भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत सामग्री क्रय की जावेगी। आंचलिक कार्यालयों, बुन्देलखण्ड परियोजना एवं मण्डी समितियों के लिये दी गई स्वीकृति संख्या पत्रक संलग्न है, उपरोक्तानुसार बजटीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में क्रय करना सुनिश्चित करेगे।

<u>(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)</u>

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(2)

क्रमांक / बोर्ड / स्वी / विविध / 742 / पार्ट / 172 — 174 भोपाल, दिनांक 28 / 05 / 2012

प्रतिलिपिः—

(1) अपर संचालक (वित्त / स्टोर), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।

(2) मुख्य अभियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।

(3) सचिव (**समस्त**), कृषि उपज मण्डी समिति,............................ जिला.................................(म0प्र0)

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय का नाम

क्रमांक— दिनांक—00/00/00

प्रति,

____

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम,

____

विषयः— फर्नीचर/कार्यालयीन सामग्री एवं उपकरण आदि क्रय करने के संबंध में कार्यादेश।
संदर्भ :— आपकी अनुमोदित दर सूची वर्ष—2012—2013

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय को निम्नानुसार फर्नीचर/कार्यालयीन सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क0	सामग्री का नाम	आयटम कोड क्रमांक	स्पेसीफिकेशन	संख्या	दर	टैक्स	कुल राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. उक्त कार्यादेश/वर्क आर्डर निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता है, उपरोक्त सामग्री एफ.ओ.आर. पर संबंधित स्थान पर कार्यालय में उपलब्ध कराई जाना है।
2. फर्नीचर/कार्यालयीन सामग्री प्रदाय कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर सामग्री सत्यापन उपरांत भुगतान किया जावेगा।
3. सामग्री सत्यापन होने पर देयकों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा।
4. सामग्री की गुणवत्ता उल्लेखित स्पेसीफिकेशन अनुसार होना चाहिये।
5. सामग्री प्राप्त होने पर लघु उद्योग निगम द्वारा निरीक्षण करने पर एवं होलोग्राम लगवाने के पश्चात ही भुगतान देय होगा।
6. निर्धारित स्पेसीफिकेशन से कम मापदण्ड की सामग्री स्वीकृत नहीं होगली।
7. वेट/वाणिज्यिक कर/सी.एस.टी/अन्य कर क्रयकर्ता द्वारा देय होगा।
8. निर्धारित अवधि में सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित की जावे।
9. सामग्री की गुणवत्ता स्पेसीफिकेशन दरें आदि के बारे में कोई विवाद होने पर लघु उद्योग निगम को सूचना प्रेषित की जाएगी।
10. प्रत्येक पत्राचार में लघु उद्योग निगम का आर्डर नंबर एवं दिनांक तथा आईटमों का नाम इसका उल्लेख करना होगा।
11. लघु उद्योग निगम की दर सूची में उल्लेखित अनुसार उक्त सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य रहेगी।
12. दर सूची में उल्लेखित दरों में एक्साईज डियूटी, सर्विस चार्ज, स्पेसीफिकेशन चार्ज, सर्विस टैक्स आदि सम्मिलित है। परन्तु इसमें वेट/कमर्शियल टैक्स एव अन्य स्थानीय दर/टैक्स सम्मिलित नहीं है।
13. एफ.ओ.आर. रेट्स का तात्पर्य म0प्र0 में किसी भी गन्तव्य के निकटस्थ रेल्वे स्टेशन/सडक परिवहन से स्थान तक के लिये सम्मिलित है। उक्त दरों में लोडिंग, अनलोडिंग सभी सम्मिलित है।
14. सामग्री का तकनीकी निरीक्षण लघु उद्योग निगम के तकनीकी विभाग द्वारा निर्माण स्थान से डिस्पेच होने के पूर्व या प्रदाय स्थान पर किया जाएगा।
15. निर्माण के दौरान भी सामग्री की गुणवत्ता, स्पेसीफिकेशन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
16. फर्म तकनीकी त्रुटि के लिये वारंटी पीरियड में जिम्मेदार रहेगी।
17. डिलेवरी/प्रदाय (एफ.ओ.आर.) की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी एवं उसके लिये पृथक से राशि देय नहीं होगी।

क्रयकर्ता अधिकारी
कार्यालय का नाम

प्रत्येक ऑचलिक कार्यालयों के लिये अनुमानित अधिकतम आंकलन

क्र0	सामग्री का नाम	संख्या		
01	आलमारी स्टीलेज बडी	03		
02	स्टीलेज रेक बडी	02		
03	टेबिल बडी	02		
04	टेबिल छोटी	03		
05	कम्प्यूटर चेयर	20		
06	रिवाल्विंग चेयर	02		
07	विजिटर चेयर	10		
08	कुर्सी हत्थे वाली	10		
09	कूलर फायवर	03		
10	कूलर लोहे के बडे	02		
11	वॉटर कूलर	01		
12	इन्वर्टर	01		
13	कुर्सी	10		
14	कम्प्यूटर टेबिल	02		

बुन्देलखण्ड परियोजना के लिये क्रय सामग्री का विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	संख्या		
01	आलमारी स्टीलेज/गोदरेज बडी	10		
02	अधिकारी टेबिल स्टील/गोदरेज	06		
03	टेबिल स्टील/गोदरेज	10		
04	कूलर फाईवर	12		
05	कम्प्यूटर चेयर	02		
06	रिवाल्विंग चेयर	06		
07	कुर्सी हत्थे वाली	20		
08	स्टूल फायवर	05		
09	बैंच फाईवर	03		
10	फैक्स	02		
11	इन्वर्टर	03		
12	कम्प्यूटर टेबिल	02		

प्रत्येक मण्डी समितियों के लिये अधिकतम क्रय सामग्री विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	मण्डी समितियों का वर्ग एवं संख्या				उपमण्डी
		क –51	ख–42	ग–55	घ–96	
01	कुर्सी	20	13	10	08	10
02	टेबिल	12	10	08	06	02
03	आलमारी	10	08	06	04	01
04	इन्वर्टर	03	02	01	01	–
05	फोटो कापी	01	01	01	01	–
06	वाटर कूलर	02	02	01	01	–

नोटः– वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त सामग्री सूची अनुसार क्रय किये जावे।